3. उक्त राशि की निकासी बजट शीर्ष :– मुख्य शीर्ष 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष– 00 लघुशीर्ष 105–खादी ग्रामोद्योग, मांग संख्या–23 उप शीर्ष– 0101– बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड पी0 2851001050101 राज्य योजना स्कीम कोड IND–5443 के विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान –वेतनादि के अलावा मद से विकलित होगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी इस राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग, पटना को उपलब्ध कराएगें। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग, पटना संकल्प ज्ञापांक :–467/ दिनांक 19/12/2017 के आलोक में संस्था/समिति को योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराएगें।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार में निकासी के लिए विपत्रों एवं प्रतिवेदन में योजना कोड अनिवार्य रूप से अंकित करेगें।

6. वित्त विभागीय पत्रांक 1496 दिनांक 22.02.2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से देगें।

8. योजना प्रस्ताव में मत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 2.09.2014 को मदसंख्या 12 में प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 5/स0 विविध खा0बो0 (डा0सर्वे0)– 31/2005 के पृ0 सं0 156 एवं 159 टि0/ दिनांक 22.09.2014 एवं 30.09.2014 को प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 7355 (वि0) 2 दिनांक –05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत्शदेश सं0– 3738 दिनांक– 30.09.2014 को विलोपित किया जाता है।

अनुलग्नक:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

15

331

ज्ञापांकः– 05/स0 विविध खा0बो0 (डा0सर्वे0)–31/2005 4672 पटना, दिनांक 17/12/2014

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, गाँधी मैदान (पूर्वी), पटना/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं खादी संस्था/समितियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना
17/12/14

17

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................
5/स० विविध खा०बो० (डा०सर्वे०)– 31/2005

प्रेषक, पटना, दिनांक......................

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरूद्धार की योजना (तीन वर्षो (2014–15 से 2016–17) तक के लिए अनुमानित कुल ₹ 44.4507 करोड़ (चौवालिस करोड़, पैंतालिस लाख, सात हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10% रिबेट की योजना की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 14.8307 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि बिहार राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग तथा ग्राम स्वराज की कल्पना को आगे बढ़ाने के संदर्भ में बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर महिलाओं हेतु प्रशिक्षण देकर रोजगार व आय के नये अवसर सृजित करने, उन्हे खादी के नई तकनीकी से अवगत कराने, राज्य से बुनकरों एवं कारीगारों के पलायन को रोकने, खादी वस्त्रों के उत्पादन एंव बिक्री क्षमता को बढ़ाने एवं खादी के संस्था/समितियों को पुनर्जीवित करने हेतु यह योजना निरूपित की गयी है।

2. बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरूद्धार की योजना (तीन वर्षो (2014–15 से 2016–17) तक के लिए अनुमानित कुल ₹ 44.4507 करोड़ (चौवालिस करोड़, पैंतालिस लाख, सात हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10% रिबेट की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान करने की कृपा की है। इस योजना को विभागीय संकल्प सं० 4671 दिनांक 19/12/2014 के आलोक में कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना हेतु स्वीकृत कुल राशि ₹ 44.4507 करोड़ के अन्तर्गत प्रथम वर्ष (2014–15) में ₹ 14.8307 करोड़ की स्वीकृति के उपरान्त मात्र ₹ 14.00 (चौदह करोड़) रूपये विकलनीय होगा, शेष ₹ 0.8307 करोड़ योजना उदव्यय उपलब्ध होने पर विकलनीय होगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में खादी वस्त्रों की बिक्री पर आदेश निर्गत की तिथि से 10 प्रतिशत छूट (रिबेट) प्रभावी होगा।

कृ०प०उ०

41 s. sanlekh